

अति-आवश्यक



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग-8)



(दूरभाष 0141-2227229, Email Id : pdme2k.rdd@ rajasthan.gov.in)


क्रमांक प. 2(3)ग्रावि/अनु-8/समीक्षा बैठक/भ्रमण/2015/पार्ट-1A जयपुर, दिनांक :- 4 APR 2022

बैठक सूचना

माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में निम्नांकित विभागीय योजनाओं की समीक्षा एवं कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाए जाने हेतु संबंधित योजना के राज्य स्तरीय अधिकारी एवं योजना प्रभारी के साथ इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में निम्नानुसार बैठक आयोजित की जावेगी :-

क्र.सं.	योजना का नाम	दिनांक एवं समय	बैठक एजेण्डा
1	जैव इंधन प्राधिकरण	08.04.2022 प्रातः 11.00 बजे	गत बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा
2	अरावली संस्थान		
3	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण		
4	ग्रामीण विकास की अन्य योजनाएं - 1. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 3. श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन 4. डांग, मगरा, मेवात 5. सीमान्त क्षेत्र विकास योजना 6. महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना 7. स्व-विवेक जिला विकास योजना 8. मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना		

उक्त बैठक में राज्य स्तरीय अधिकारी एवं योजना प्रभारी बैठक एजेण्डा अनुसार अद्यतन सूचनाओं की पीपीटी के साथ भाग लेने का श्रम करें एवं दिनांक 06.04.2022 तक इस अनुभाग की ई-मेल आई डी pdme2k.rdd@ rajasthan.gov.in पर पीपीटी आवश्यक रूप से भिजवाने का कष्ट करें।


(बी. एल. वर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
- 5 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास।
- 6 शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
- 7 कार्यकारी निदेशक, अरावली संस्थान।
- 8 अतिरिक्त निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान को बैठक में उपस्थित होने वाले लगभग 25 प्रतिभागियों की जल-पान एवं बैठक व्यवस्थार्थ।
- 9 परि. निदे. एवं उप सचिव (एसएपी-प्रथम/द्वितीय/मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 10 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोपूयल प्राधिकरण।
- 11 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास।
- 12 उप निदेशक/सहायक निदेशक (प्रचार), ईजीएस/पंचायती राज।
- 13 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)